

[This question paper contains 8 printed pages.]

2470

Your Roll No.

LL.B. / V Term

F

Paper LB-501 – CIVIL PROCEDURE

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

(Write your Roll No. on the top immediately
on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए
निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note :- Answers may be written either in English or in Hindi;
but the same medium should be used throughout the
paper.

टिप्पणी :- इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा
में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any Five questions.

All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

P.T.O.

1. Short Notes. Attempt any four.

- (a) Distinguish between Decree & order
- (b) Power of the Supreme Court to transfer Suits under section 25 of CPC
- (c) Notice under Section 80 of the CPC
- (d) Order 2 Rule 2 CPC
- (e) Suits by or Against Government (20)

किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

- (क) डिक्री और आदेश में सुभिन्नता दर्शाइए।
- (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की वाद-अन्तरण सम्बन्धी शक्तियों का उल्लेख कीजिए।
- (ग) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत नोटिस।
- (घ) सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 2 नियम 2।
- (ङ) सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद।

2. (a) If an issue arises which is required to be settled, decided or dealt with by the competent authority under the Tenancy Act, even if it arises in civil suit, the jurisdiction of the Civil Court to settle, decide or dealt with the same would be barred by

the provisions contained in Section 85. Discuss the statement in view of the relevant provisions of CPC. (10)

(b) Whether the bar to proceed with the trial of subsequently instituted suit, contained in Section 10 of the CPC is applicable to summary suit filed under order 37 of the CPC? (10)

(क) यदि कोई ऐसा विवादक उठता है जिसको अभिधृति अधिनियम के अन्तर्गत समाधानित, विनिश्चित या निपटाया जाना अपेक्षित है, चाहे वह सिविल वाद में ही उठता है, तो उसको समाधानित, विनिश्चित या निपटाने के लिए सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को धारा 85 में उल्लिखित उपबंधों द्वारा वर्जित कर दिया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त कथन का विवेचन कीजिए।

(ख) क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में उल्लिखित तत्पश्चात् संस्थित वाद के विचारण किए जाने का वर्जन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अन्तर्गत फाइल किए गए संक्षिप्त वाद पर लागू होता है?

3. (a) Whether a decision of the High Court on merits on a certain matter after contest in a writ petition under Article 226 of the Constitution, operates a

res judicata in a regular suit with respect to the same matter between the same parties? (10)

(b) Explain whether the principles of res judicata will also apply amongst co-defendants. (10)

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत किसी रिट याचिका में प्रतिवाद के बाद गुण-दोष पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी मामले के बारे में नियमित वाद में पूर्वन्याय का कार्य करता है?

(ख) स्पष्ट कीजिए क्या पूर्व न्याय के सिद्धान्त यह प्रतिवादियों के बीच भी लागू होंगे?

4. (a) Discuss the various modes of Alternative dispute Resolution Mechanism provided under the provisions of CPC. (10)

(b) When a party challenges the interpretation placed upon the certain clauses of the Managing Agency Agreement which is foundation of the rights of the party, whether it will amount to raising a substantial question of law as required under section 100 of the CPC? (10)

(क) सिविल प्रक्रिया के उपबंधों के अन्तर्गत उपबधित अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र की विभिन्न विधाओं का विवेचन कीजिए।

(ख) जब कोई पक्षकार प्रबन्ध अभिकरण करार-पत्र के कतिपय खंडों के किए गए उस निर्वचन को आक्षेपित करता है जो पक्षकार के अधिकारों का आधार है, तब क्या ऐसा करना सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अन्तर्गत यथापेक्षित सारभूत विधिगत प्रश्न उठाने के समान होगा?

5. (a) There is distinction between a mere erroneous decision and a decision which could be characterized as vitiated by "error apparent". A review by no means an appeal in disguise whereby an erroneous decision is reheard and corrected, but only for patent error. Explain the statement in view of the conditions required for review of judgement. (10)

(b) All amendments should be allowed which are necessary to determine the real controversies in the suit. Explain the settled principles which are followed by courts in dealing with applications for amendment of pleadings. (10)

(क) मात्र गलत विनिश्चय और उस विनिश्चय के बीच जिसे “दृश्यमान गलती” द्वारा दूषित किया गया कहा जा सकता हो, के बीच सुस्पष्ट भेद है। किसी गलत विनिश्चय की पुनः सुनवाई या शोधन छद्मावरण में अपील द्वारा कदापि नहीं किया जाता है सिवाय प्रत्यक्ष गलती होने के। निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए अपेक्षित शर्तों को ध्यान में रखते हुए इस कथन का विवेचन कीजिए।

(ख) उन सभी संशोधनों की अनुमति होनी चाहिए जो वादगत वास्तविक विवादों का अवधारण करने के लिए जरूरी हैं। तय किए उन सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए जिनका न्यायालयों द्वारा अभिकथनों के संशोधन हेतु आवेदनों पर कार्रवाई करने के बारे में अनुसरण किया जाता है।

6. (a) Relevant facts which needs to be looked into while deciding application under Order 7 Rule 11, are the averments, in the Plaint. Pleas taken by the defendant in the written statement are wholly irrelevant. Discuss. (10)

(b) Our rules of procedure are grounded on the basis of principles of natural justice which require that men should not be condemned unheard and the decisions should not be reached behind their back. Discuss in the light of ‘Sangram Singh v. Election Tribunal, AIR 1955 SC 425. (10)

(क) वे सभी सुसंगत तथ्य जिन पर ओदश 7, नियम 11 के अन्तर्गत आवेदनों को विनिश्चित किए जाते समय ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वादपत्र में प्रकथन हैं। लिखित वक्तव्य में प्रतिवादी द्वारा किए गए अभिवाक पूरी तरह असंगत हैं। विवेचन कीजिए।

(ख) हमारे प्रक्रियागत नियम उस नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित हैं जिनमें अपेक्षित है कि किसी मनुष्य को सुनवाई बिना दंडित न किया जाए और विनिश्चय उनसे छिपाकर न किए जाएं।
Sangram Singh V Election Tribunal AIR 1955 SC 425 को ध्यान में रखते हुए विवेचन कीजिए।

7. Discuss the principles to be followed, while granting leave to defend to the defendant in suit filed under order 37 i.e. summary Procedure. (20)

आदेश 37 अर्थात् 'संक्षिप्त प्रक्रिया' के अन्तर्गत फाइल किए गए वाद में प्रतिवादी को प्रतिरक्षा करने के लिए अनुमति प्रदान किए जाते समय अनुसरित किए जाने वाले सिद्धान्तों का विवेचन कीजिए।

8. Injunction is a judicial process by which a party is required to do or to refrain from doing any particular act. It is in the nature of preventive relief to a litigant to prevent future possible injury. What are the conditions required to be fulfilled under Order 39 before a temporary injunction is granted to a party.

(20)

P. T. O.

व्यादेश न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पक्षकार से किसी कार्य विशेष को करने या करने से परहेज करने की अपेक्षा की जाती है। यह मुकदमाकारियों को भविष्य में संभावित क्षति से बचाने के लिए निवारक अनुतोष जैसा है। किसी पक्षकार को अस्थायी व्यादेश मंजूर किए जाने से पहले ओदश 39 के अन्तर्गत पूरी किए जाने के लिए अपेक्षित शर्तें क्या हैं?